राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

**प्रार्थना पत्र सं. 116 / 2024**
**GCMS No. 2024/532**

छगनलाल पुत्र चिरंजीलाल उम्र 70 वर्ष जाति महाजन निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) हाल आबाद फ्लैट नं. 7एफ, आदर्श ग्रुप अपार्टमेन्ट, सैक्टर–7 विधाधर नगर, जयपुर (राज0)

.......प्रार्थी

**ब–ना–म**

1. गोपाल अग्रवाल पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन, निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.) हाल आबाद आर्य नगर, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.)
2. जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन, निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.) हाल आबाद 76 आर्य नगर, मुरलीपुरा, एन.के. स्कूल के पास, जयपुर (राज.)
3. मोहित अग्रवाल पुत्र मदन अग्रवाल जाति महाजन निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.) हाल आबाद एस–10 लालपुरिया गगन अपार्टमेन्ट, विधाधर नगर, सैक्टर–2, जयपुर (राज.)
4. लक्ष्मी पत्नी मदनलाल जाति महाजन निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.)
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार जरिये शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)
6. उप पंजीयक, बबाई जिला झुन्झुनूं।
7. लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज.) व नायब तहसीलदार, बबाई तहसील खेतड़ी।

..........अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**

**उपस्थित अधिवक्ता :–**

1. श्री जयप्रकाश सैनी – प्रार्थी की ओर से
2. श्री विजेन्द्र सैनी – अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 18.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय [illegible] या गया है कि वाके ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवा[illegible]माबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 208 के खसरा [illegible] 103 रकबा 4[illegible] का प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 संयुक्त खातेदार काश्त[illegible] दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/4 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/14 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 ने अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर सभी की जानकारी में काबिज काश्त है। वाके ग्राम सेफरागुवार स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 78 के खसरा नंबर 102 रकबा 0.08 है., ख.नं. 1043/103 रकबा 2.03 है., ख.नं. 1044/103 रकबा 0.66 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.77 है. का प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्स, अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/8 व अप्रार्थी सं. 4 का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 ने अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर सभी की जानकारी में काबिज काश्त है। वाद वर्णित भूमि हरड़िया से सेफरागुवार जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है इस कारण अप्रार्थीगण सड़क पर लगती हुई सम्पूर्ण भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से प्रार्थी के बाहमी बंटवारे में आई भूमि को हड़पने की नियत से लड़ाई झगड़ा करते हैं जबकि प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र रूप से सभी की जानकारी में शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में बाधा कारित करते हैं, लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का वाद वर्णित भूमि में बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4, प्रार्थी को वाद वर्णित भूमि पर उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते व अप्रार्थी सं 1 लगा. 4 धमकी देते हैं कि वे प्रार्थी के बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर कब्जा करेंगे, निर्माण करेगे तथा अनजबी व्यक्ति को बेचान करेंगे। यदि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 ने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लिया या कच्चा–पक्का निर्माण कर लिया या किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का बेचान कर दिया तथा प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा करवा दिया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 208 के खसरा नंबर 103 रकबा 4.83 है. तथा भूमि खाता सं. 78 के खसरा नंबर 102 रकबा 0.08 है., ख.नं. 1043/103 रकबा 2.03 है., ख.नं. 1044/103 रकबा 0.66 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.77 है. में प्रार्थी के हिस्से की बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर ईंट, पत्थर, बजरी आदि नहीं डाले, नींव नहीं खोदे तथा ना ही कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें तथा ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करें व ना ही वाद वर्णित भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान, दान आदि से हस्तांतरित करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें तथा ना ही अपने मित्रगण या परिवारजन से करवाये तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(ख) अप्रार्थी सं. 6 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम सेफरागुवार पटवार हल्का सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 208 के खसरा नंबर 103 रकबा 4.83 है. तथा भूमि खाता सं. 78 के खसरा नंबर 102 रकबा 0.08 है., ख.नं. 1043/103 रकबा 2.03 है., ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner

1044/103 रकबा 0.66 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.77 है. भूमि से सम्बंधित व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 द्वारा पेश किसी भी दस्तावेजात को तस्दीक नहीं करें। ऐसा कृत्य ना स्वयं करें ना ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियो से करावे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने अपनी भूमि का पूर्वजों के समय से बाहमी बंटवारा कर रखा है। बंटवारे के अनुसार काफी समय से बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी परिवार में सबसे बड़ा था इस कारण से प्रार्थी के कहे अनुसार उनको बाहमी बंटवारे में भूमि दी गई थी उसी भूमि पर प्रार्थी काफी समय से अपने बंटाईदार से काश्त करवाता आ रहा है जिसमें प्रार्थी ने अपनी भूमि में तारबन्दी कर रखी है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा सड़क के सामान्तर ही बंटवारा कर रखा है। इसलिए प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 सड़क पर लगती हुई भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं नितान्त असत्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने सहमति से बातचीत कर खाता विभाजन करने के लिए तैयार हो गये थे तब अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने पटवारी हल्का से मिलकर सहमति के आधार पर खाता विभाजन करने का निवेदन किया पटवारी हल्का ने सहमति के आधार पर खाता विभाजन की कार्यवाही शुरू करदी थी लेकिन प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था इसलिए खाता विभाजन नहीं हो पाया। आज से 2 वर्ष पहले ही खाता विभाजन हो जाता मात्र अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने यह आधारहीन दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण सं. 5 से 7 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 78 खसरा नंबर क्रमशः 102, 1043/103, 1044/103 कुल किता 3 कुल रकबा 2.77 है. भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 व 4 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा खाता संख्या 208 खसरा नंबर 103 रकबा 4.83 है. भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि अविभाजित है जिसमें पक्षकारान आपसी बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान खातेदारों की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए विधि की दृष्टि से अविभाजित खातेदारी भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा अर्थात् अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि पर हिस्सा निहित होता है। अगर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 किसी अन्य को बेचान, रहन या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द करते है तो अपूर्तनीय क्षति उभय पक्षकारान को ही होगी। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पक्ष में साबित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner

अतः इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27–09–2024 को ताफैसला वाद पुष्ट (Confirm) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( मुकेश चौधरी )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner